बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सकारण आ0सं0-भवन/स्था0-04/कार्यभारित-05/2013-खण्ड-II................../ दिनांकः-.....................

सकारण आदेश

समादेशवाद संख्या-218/2021, विजय शंकर प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.11.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता एवं सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मियों श्री विजय शंकर प्रसाद, श्री मोहन प्रसाद राम, श्री राम नन्दन पासवान एवं श्री महेश प्रसाद द्वारा कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी पूर्ण सेवा अवधि के वर्षों को परिगणित करते हुए पेंशनादि की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

विदित हो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.11.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

" In view of the submissions made on behalf of the parties and taking into consideration the grievances of the petitioners, the present application is being disposed of with a direction to the Principal Secretary, Building Construction Department, Govt. of Bihar, Patna to consider the cases of the petitioners for grant of revised retiral dues in the light of the Judgement rendered by the learned Full Bench of this court as stated above and pass appropriate orders within a period of twelve weeks of receipt/production of a copy of this order."

उल्लेखनीय हैं कि समादेशवाद सं0-218/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेशवाद सं0-10063/2012 (अमेरिका देवी) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में रिट आवेदकों को संशोधित सेवान्त लाभ दिये जाने के दावे पर विचार कर 12 सप्ताह के अन्दर आदेश निर्गत करने का न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश के आलोक में कार्यभारित कर्मियों द्वारा दिनांक-28.04.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उल्लेखनीय हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा समादेशवाद सं0-10063/2012 (अमेरिका देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार) में दिनांक-02.09.2019 को पारित निर्णय की कंडिका-38, 40, 46 (b)(c) में स्पष्ट रूप से वित्त विभाग के संकल्प दिनांक-17.10.2013 की कंडिका-5(v) के तहत कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत दी गई सेवा के प्रत्येक 5 वर्ष के लिए 01 वर्ष को पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभ की गणना हेतु सही ठहराया गया है।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 में निहित शर्त्तों एवं प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक–11.12.1990 को अथवा उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त 302 कार्यभारित कर्मियों को विभागीय आदेश सं0–49(भ) दिनांक–20.02.2014 के आलोक में नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित किया गया था। साथ ही वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आधार पर इन कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई तथा प्रत्येक 5 वर्षों की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभ की गणना का निदेश संसूचित किया गया।

कालांतर में कार्यभारित स्थापना में नियोजित कर्मियों के सेवा विनियमन संबंधी वित्त विभाग के संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 एवं उसके कतिपय प्रावधानों के विरूद्ध कर्मियों द्वारा दायर SLP(c) No.–3155–3159/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.04.2023 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

" In view of above and for the reasons stated above, present appeals lack merits and the same deserve to be dismissed and are accordingly dismissed. It is observed and held that the service rendered as work charged after their services have been regularized under the regularization scheme, namely, the Rules, 2013 and the Circular shall be counted for the purpose of qualifying service for pension only as per Rule 5(v) of the Rules, 2013.

Present appeals, thus, deserve to be dismissed and are accordingly dismissed. No costs."

उल्लेखनीय हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश की कंडिका–6.2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हैं किः–

"Insofar as the submission on behalf of the appellants that their entire services rendered as work charged should be considered and/or counted for the purpose of pension/quantum of pension is concerned, the same cannot be accepted. If the same is accepted, in that case, it would tantamount to regularizing their services from the initial appointment as work charged. As per the catena of decisions of this Court, there is always a difference and distinction between a regular employee appointed on a substantive post and a work charged employee working under work charged establishment. The work charged employees are not appointed on a substantive post. They are not appointed after due process of selection and as per the recruitment rules. Therefore, the services rendered as work

charged cannot be counted for the purpose of pension/quantum of pension. However, at the same time, after rendering of service as work charged for number of years and thereafter when their services have been regularized, they cannot be denied the pension on the ground that they have not completed the qualifying service for pension. That is why, the service rendered as work charged is to be counted and/or considered for the purpose of qualifying service for pension, which is provided under Rule 5(v) of the Rules, 2013."

इस प्रकार उक्त न्यायादेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 के प्रावधानों को ही सम्पुष्ट किया गया है। उल्लेखनीय हैं कि इस संबंध में वित्त विभागीय परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें वित्त विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया हैः–

"उक्त से स्पष्ट हैं कि वित्त विभागीय संकल्प सं0–6394 दिनांक–23.10.1987 के अनुसार वादीगण दिनांक–21.10.1984 तक 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं करने की वजह से तत्समय उनकी सेवा नियमित नहीं की गई, बल्कि वित्त विभागीय संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 के प्रावधान के आलोक में नियमितीकरण की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश में वित्त विभागीय संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 के प्रावधान को सम्पुष्ट किया गया है। चूँकि प्रस्तावित वाद के वादीगण वित्त विभागीय संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 के प्रावधान के तहत नियमित हुए हैं। अतएव इन वादीगणों के संदर्भ में वर्ष 2013 के उक्त संकल्प के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।"

अतः वर्णित स्थिति में समादेशवाद सं0–218/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–03.11.2022 को पारित न्यायादेश एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0–10710 दिनांक– 17.10.2013 की कंडिका–5(v) में विहित प्रावधान के आलोक में उक्त कार्यभारित कर्मियों द्वारा पूर्ण पेंशन एवं सेवान्त लाभ की माँग को अस्वीकृत किया जाता है।

तदनुसार सभी संबंधितों को संसूचित किया जाए।

ह0/–
(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

ज्ञापांकः– भवन/स्था0-04/कार्यभारित-05/2013-खण्ड-।।/– पटना, दिनांकः–......................

प्रतिलिपिः–श्री विजय शंकर प्रसाद (से0नि0 चौकीदार), श्री मोहन प्रसाद राम (से0नि0 केयरटेकर), श्री रामनंदन पासवान (से0नि0 बढ़ई सहायक) एवं श्री महेश प्रसाद (से0नि0 चौकीदार), भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था0-04/कार्यभारित-05/2013-खण्ड-।।/– पटना, दिनांकः–......................

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशानुसार उक्त सभी आवेदकों को उनके आवासीय पता/पत्राचार के पता पर उक्त आदेश का तामिला कराते हुए अनुपालन की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था0-04/कार्यभारित-05/2013-खण्ड-।।/–3358(4) पटना, दिनांकः–...8/4/26.....

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/4/26

सरकार के सचिव।